

कुछ मुद्दों का सामाजिकरण नहीं किया जा सकता। वो खास तरह से हम महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तकनीक, फाइनैस, करियर और कानून की दुनिया से जुड़े ऐसे ही विशेष मुद्दों से जुड़ी जानकारियों के लिए है यह खास पन्जा...

अपने अधिकारों से दें इस हिंसा का जवाब

समाज कितनी भी प्रगति कर ले, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाएं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस हिंसा का सामना करने के लिए आपके क्या-क्या हैं अधिकार, बता रही हैं डॉ. मालिनी सबा


अपने आसपास नजरें घुमाकर देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आपको दिख ही जाएंगी। वे भले ही खुद से इसके बारे में कुछ न कहें, पर इस हिंसा की निशानियां उन परशानियों को बयां कर देती हैं, जिनसे वे बंद दरवाजों के पीछे लगातार जूँझ रही होती हैं। चिंताजनक बात यह है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव में ज्यादातर महिलाएं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं या आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं।। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा घरेलू हिंसा पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 29.3 फीसदी भारतीय महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की हिंसा से लगातार त्रस्त रहती हैं। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी, सामाजिक और पारिवारिक दबाव, ससुरालवालों के द्वारा लगातार दहेज की मांग, शिक्षा का अभाव, पितृसत्ता या अपने लिए आवाज उठा पाने का साहस ना जुटा पाना जैसे कारण घरेलू हिंसा

को आमतौर पर हमारे समाज में बढ़ावा देते हैं। यदि अपने अधिकारों के प्रति जानकारी हो तो चुपचाप प्रताड़ित होने की बजाय अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। घरेलू हिंसा का सामना करने के लिए क्या हैं आपके अधिकार, आइए जानें:

घरेलू हिंसा का दायरा

- शारीरिक हिंसा: महिला को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना या रुपए-पैसे सबंधी जरूरतों के लिए अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश आर्थिक हिंसा के दायरे में आता है।
- भावनात्मक हिंसा: गाली-गलौज करना, अपशब्द बोल कर अपमानित करना, नीचा दिखाने का प्रयास करना या महिला के आत्मसम्मान को टेस पहुंचाने का प्रयास करना भावनात्मक हिंसा मानी जाती है।

- आर्थिक हिंसा: महिला को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना या रुपए-पैसे सबंधी जरूरतों के लिए अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश आर्थिक हिंसा के दायरे में आता है।
- यौन हिंसा: किसी स्त्री के साथ बिना उसकी रजामदी के जवरदस्ती करना या



कानून का साथ

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पेश किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की व्याख्या इस प्रकार से की गई है:

- जान, सेहत और सुरक्षा के लिए शारीरिक, मानसिक, यौन खतरा, जिसमें मौखिक और आर्थिक शोषण भी शामिल है।
- दहेज के लिए महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना।
- आईपीसी की धारा 498-ए के अनुसार पति या ससुराल पक्ष द्वारा महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी अपराध की श्रेणी में आता है, जो गेर-जमानती होता है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का उद्देश्य दहेज जैसी कुप्रथा पर लगाय लगाना है। दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने के लिए लड़की के घरवालों से मांग करना या उनपर दबाव बनाना अपराध माना जाता है।

यहां से लें मदद

- पुलिस की मदद: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला पुलिस से किसी भी समय मदद ले सकती है। पीड़ित महिला पुलिस स्टेशन जाकर या महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
- न्यायालय से सहायता: घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, महिलाएं प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि महिला चाहे तो न्यायालय में भी अपनी सुरक्षा के लिए याविका दायर कर सकती है। ऐसा करने पर उसे न्यायालय द्वारा अपने पति/साथी से दूर रहने का अधिकार मिल जाता है।
- पुर्ववास का अधिकार: पीड़िता सरकार से पुर्ववास की मांग भी कर सकती है। सरकार और अनेकों गेर-सरकारी संगठन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय स्थल और पुर्ववास केंद्र चलाते हैं। यहां पीड़िता के रहने के अलावा उस काउंसलिंग और कानूनी सलाह की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- आर्थिक मदद: घरेलू हिंसा की शिकायत महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए अपने पति/साथी से भरण-पोषण भत्ते और मुआवजे की मांग कर सकती हैं। (लेखिका मानवाधिकार कार्यकर्ता और अनानके फाउंडेशन की संस्थापक हैं) प्रस्तुति: रवाति गौड़